न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **42/2017** अपील (राजस्व)

1. श्री तुलसीराम उर्फ संजय डांगी पुत्र श्री कन्ना डांगी निवासी 6ए, आनन्द विहार कॉलोनी, हिरणमगरी, सेक्टर 4, उदयपुर
2. श्री कन्ना पुत्र श्री उदा डांगी, निवासी 6ए, आनन्द विहार कॉलोनी, हिरणमगरी, सेक्टर 4, उदयपुर

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर
2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

—— **विपक्षीगण**

अपील बनाराजगी आदेश माननीय न्यायालय, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 03/2005 बअनवान तुलसीराम व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, निर्णय दिनांक 21.11.11

उपस्थितः 1. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार
3. श्री नरपतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—02.05.2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम बाबत नामान्तरकरण खोले जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वर्गीय उदा जी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 08.07.04 के अनुसार नामान्तरकरण हमारे नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। उदा जी की मृत्यु दिनांक 30.07.04

को हो चुकी हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण संख्या 03/05 नामान्तरकरण बाबत् प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जॉच पटवारी हल्का से करवायी गई। वसीयत पर गवाहानो से बयान भी लिये गये। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को प्रार्थना पत्र से भी अवगत करवाया गया। जिस पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर में न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.03 के विरूद्ध द्वितीय अपील की जा रही हैं। लम्बे समय के उपरान्त भी नगर विकास प्रन्यास द्वारा कोई विधिवत जवाब प्रस्तुत नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय को यही अवगत कराया जाता रहा कि प्रकरण की कार्यवाही न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन हैं। इसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरंतर सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से राजस्व मण्डल में विचाराधीन कार्यवाही के संबंध में जानकारी मंगाये जाने के संबंध में प्रकरण लम्बित रखते हुए प्रदान की जाती रही। परन्तु दिनांक 21.11.11 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रकरण में यह आदेश पारित किया कि ''प्रतिवादी को बार बार आवाज लगवाई गई। वादी प्रतिवादी अनुपस्थित। श्रीमान सचिव महोदय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से प्रकरण में सूचना अप्राप्त हैं एवं प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में जैर कार्यवाही हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली को ड्रोप की जाती हैं। प्रकरण नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई।'' जबकि अपीलार्थीगणो के अधिवक्ता निरंतर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं। उक्त आदेश के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का प्रस्तुत कर प्रकरण को पुनः तारीख पेशी पर लिये जाने हेतु भी निवेदन किया जिस पर भी कोई कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.11.11 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् नामान्तरकरण स्वीकार

फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में वसीयत के आधार पर अपीलान्टगणो का नाम दर्ज कराना फरमावें।

अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सी.पी.सी. तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्यवान अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन करने एवं बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम में दर्ज सम्पत्ति के संबंध में अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन रहते अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.11.11 से अपने प्रकरण संख्या 03/05 की कार्यवाही को ड्रोप कर दिया गया। जो न्यायोचित नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन सम्पत्ति के संबंध में वर्तमान में एक अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन हैं। कार्यालय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा अपने पत्र कमांक स.अ. (बसंल) नविप्र/2006/3381 दिनांक 15.11.05 से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को यह अवगत करवाया गया है कि ''प्रकरण संख्या 93/2002 श्री उदा बनाम नगर विकास प्रन्यास एव अन्य में न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2003 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.06 को अन्य आदेश तक स्थगन आदेश दिये गये है जो वर्तमान में प्रभावी हैं।'' अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी सभी आदेशिकाओ में स्पष्ट

रूप से अंकित किया गया है कि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से प्रकरण के संबंध में सूचना अप्राप्त, इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.11 को प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप कर दी गई जो न्यायसंगत नहीं हैं। राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न निर्णयो में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पक्षकारो के मध्य यदि विवादित भूमि के संबंध में दावे, अपील विचाराधीन हो तो उनके निर्णय होने तक अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखी जानी चाहिये। ताकि पक्षकारो के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं हों। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर कार्यवाही को ड्रोप कर दिया गया हैं। जो उचित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/05 कन्ना पिता उदा डांगी बनाम तुलसीराम पिता कन्ना डांगी की कार्यवाही को स्थगित रखी जाना उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.11 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में विचाराधीन सम्पत्ति के संबंध में जो अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है उसके निस्तारण के उपरान्त प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए गुणावगुण पर विस्तृत आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर